न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़

(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोद कुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 784/दावा/2014
दायरा 30/10/2014

उनवान

1. हरिचरण पुत्र घनश्याम जाति धाकड निवासी डोबडा तह0 खानपुर
2. महेद्रकुमार पुत्र घनश्याम जाति धाकड निवासी डोबडा तह0 खानपुर
3. गजेद्र पुत्र तोलाराम जाति धाकड़ निवासी डोबडा तह0 खानपुर

-- वादी

बनाम्

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तह0 खानपुर जिला झालावाड़

– प्रतिवादी

उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी
2. पेरोकार सरकार

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 209 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

दिनांक 5/11/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88, 89, 209 अन्तर्गत के तहत प्रस्तुत किया है कि ग्राम डोबडा तह0 खानपुर की जमावंदी सं0 2023 से 2026 में ख0नं0 1212/635 रकबा 8.10 बीघा, ख0नं0 1213/635 रकबा 8.08 बीघा, ख0नं0 1214/635 रकबा 2.10 बीघा, ख0नं0 1215/635 रकबा 1.13 बीघा कुल रकबा 21.01 बीघा कस्तूरी पुत्री किशना व जगन्नाथ पुत्र उदा के खाते एवं कब्जे काश्त की थी। सेटलमेंट में ख0नं0 1212/635, 1213/635, ख0नं0 1214/635 व ख0नं0 1215/635 का नया खसरा नं0 588 बना किन्तु रकबा 21.01 बीघा से घटाकर 17.12 बीघा रहने दिया और इस प्रकार वादीगण के खाते में आराजी का रकबा 3.09 बीघा कम कर दिया जो अवैद्ध है, इसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं है। रकबा कम करने की सेटलमेंट विभाग ने न तो कोई सूचना दी ओर न ही वादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया। सेटलमेंट विभाग का यह कार्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। सेटलमेंट विभाग ने उक्त वादग्रस्त आराजी का रकबा 3.09 बीघा कर करके उसको सरकार खाते में खसरा नम्बर 576 में मिला कर चरागाह दर्ज कर दिया जिससे चरागाह का रकबा बढ़ गया। ख0नं0 576 की आराजी वादीगण के खाते की आराजी के उत्तर में स्थित है। वहीं ख0नं0 903/680, 906/611, 794/636 के नये ख0नं0 576 कर दिये लेकिन रकबा 49.14 बीघा से बढ़ाकर 7013 बीघा चरागाह दर्ज कर दिया। इस प्रकार वादीगण के खाते की आराजी में से 3.09 बीघा आराजी कम करके ख0नं0 576 में मिला दिया। ऐसे में इस नम्बर में से 3.09 बीघा आराजी के वादीगण खातेदार टीनेंट घोषित होने के अधिकारी हैं। इसी प्रकार राजस्व नक्शे को भी दुरूस्त किया जावे। वादीगण को राज्य सरकार को 2 माह का कानूनी नोटिस दिये जाने की बाध्यता से भी वादीगण को न्यायहित में माफ किया जावे। वाद कारण दि0 20.1.20014 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादी से ख0नं0 588 का रकबा बढाने के लिये निवेदन करने पर प्रतिवादी ने न्यायालय में वाद पेश करने के लिये कहा। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम डोबडा की ख0नं0 576 रकबा 7013 बीघा में से 3.09 बीघा आराजी दक्षिण वाली जो वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी से मिली हुई है का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे। वहीं ग्राम डोबड़ा की ख0नं0 576 रकबा 70.13 बीघा आराजी जो राजस्थान सरकार के खाते में है, से 3.09 बीघा आराजी कम करके 3.09 बीघा आराजी को वादीगण के खाते की आराजी ख0नं0 588 रकबा 17.12 बीघा में जोड़कर रकबा 21.01

[1]

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

बीघा दर्ज किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता माननीय न्यायालय उचित समझे वह भी वादीगण को दिलायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाबदावा पेश किया कि वर्तमान मे वादग्रस्त आराजी चरागाह दर्ज है, जो वादी को नही दी जा सकती है। राजस्व विभाग(ग्रुप-6) राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 के द्वारा चरागाह भूमिया निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये आवटन एव नियमन पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक रोक लगायी गयी है। सेटलमेंट पूरा होने के बाद भू प्रबन्ध विभाग ने जो जमाबदी ग्राम डोबडा की स0 2028-47 चालू की गई जिसमे ग्राम डोबडा की आराजी ख0नं0 588 रकबा 17.12 बीघा भूमि कस्तूरी पुत्री किशन कौम नाई हि0 1/4 सा0 सारोलाकलां, जगन्नाथ वल्द उदा हि0 3/4 कौम नाई सा0देह खातेदार के खाते दर्ज है। यह भूमि वादीगण के खाते दर्ज नही होने के कारण वादीगण रेकार्ड दुरुस्ती करवाने हेतू अधिकृत खातेदार नही है। इंतकाल नं0 184 दि0 28.03.89 ग्राम डोबडा जिसके द्वारा ग्राम डोबडा के ख0नं0 588 रकबा 17.12 बीघा भूमि खाते दर्ज हुई है। इससे पूर्व वादीगण खातेदार नही थे। यह भूमि वादीगण के खाते दर्ज नही होने के कारण वादीगण रेकार्ड दुरुस्त करवाने हेतू अधिकृत खातेदार नहीं है। वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवाबदावा के अनुसार विवादित बिन्दूओं पर निम्नप्रकार तनकीयात कायम की गयी।

1. आया ग्राम डोबडा में सं0 2023-26 की जमाबंदी में ख0नं0 1212/635 की 8.10 बीघा, 1213/635 की 8.08 बीघा, 1214/635 की 2.10 बीघा, 1215/635 की 1.13 बीघा कुल 21.01 बीघा आराजी कस्तुरी पुत्री किशना व जगन्नाथ पुत्र उदा के खाते व कब्जे काश्त की थी ?
   – वादीगण
2. यह है कि गत सेटलमेंट में ख0नं0 1212/635, 1213/635, 1214/635 व 1215/635 का नया खसरा नं0 588 बनाया जिसमें रकबा 21.01 बीघा से घटाकर 17.12 बीघा कर दिया ? इस प्रकार वादीगण के खाते में 3.09 बीघा आराजी सेटलमेंट ने बिना सुनवाई का अवसर दिये कम कर दी ? सेटलमेंट विभाग को खाते का रकबा कम करने का कोई अधिकार नहीं है ?
   – वादीगण
3. आया वादीगण के खेत ख0नं0 588 के उत्तर में सरकारी भूमि साविक ख0नं0 903/680, 906/611, 794/636 रकबा 49.14 बीघा स्थित थी ? सेटलमेंट ने इसका नया नम्बर 576 किस्म चरागाह बनाया है जिसका रकबा 49.14 बीघा से बढा कर 70.13 बीघा कर दिया तथा वादीगण का 3.09 बीघा रकबा इस आराजी में शामिल कर दिया ? ऐसे में वादीगण ग्राम डोबडा की ख0नं0 576 की 70.03 बीघा में से वादीगण के खेत से मिली हुई 3.09 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित होने एवं ख0नं0 588 रकबा 17.12 बीघा में 3.09 बीघा जोडकर ख0नं0 588 का रकबा 21.01 बीघा दर्ज कराने के अधिकारी है ?
   –वादीगण
4. आया वर्तमान में आराजी चरागाह दर्ज है जो वादी को नहीं दी जा सकती ?
   –प्रतिवादी
5. अनुतोष

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी श्री महेंद्रकुमार धाकड, गवाह श्री श्रीलाल धाकड़, श्री तोलाराम धाकड़ के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगायत Exp5 प्रदर्श कराये। पेरोकार सरकार ने अपने जवाबदावा के समर्थन में श्री प्रेमचंद मीना भू अभिलेख निरीक्षक भगवानपुरा के बयान दर्ज कराये तथा Exd1 नकल सेटलमेंट जमाबंदी सं0 2028-47 खाता सं0 93 ग्राम डोबडा, Exd2 नकल नामा0सं0 184 ग्राम डोबडा एवं परिपत्र दिनांक 25.04.2011 की फोटो प्रति पेश की। तत्पश्चात उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम डोबड़ा की साविक ख0नं0 1212/635, 1213/635, 1214/635, 1215/635 का रकबा 21.01 बीघा था तथा यह कस्तुरी व जगन्नाथ नाई के खाते व कब्जे काश्त की थी।

उपखण्ड अधिकारी
भानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

सेटलमेंट ने इसके नये ख0नं0 588 कायम कर रकबा 21.01 बीघा से घटाकर 17.12 बीघा कर दिया। इसी प्रकार ख0नं0 588 के उत्तर मे सरकारी भूमि शामिल ख0नं0 903/680, 906/611, 794/636 रकबा 49.14 बीघा स्थित थी। सेटलमेंट ने इसका नया ख0नं0 576 कायम कर किस्म चरागाह बनाया है तथा रकबा 49.14 बीघा से बढा कर 70.13 बीघा कर दिया। साथ ही वादीगण की 3.09 बीघा आराजी को इसमे शामिल कर दिया। ख0नं0 576 की 70.03 बीघा आराजी वादीगण के खेत से मिली हुई है। सेटलमेंट को बिना किसी सुनवाई के वादीगण की आराजी का रकबा कम करने का अधिकार नही है। हमने गवाहान के बयान दर्ज कराये है तथा पुराने राजस्व रेकार्ड की नकले पेश की है, जिनसे हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा डिक्री करे।

विद्वान पेरोकार सरकार ने अपनी बहस मे जवाबदावा मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादीगण ने ग्राम डोबडा की जिस खसरा नं0 576 रकबा 70.03 बीघा मे से 3.09 बीघा की इन्द्राज दुरूस्ती चाही है, वह आराजी वर्तमान मे राज्य सरकार के खाते की होकर किस्म चरागाह दर्ज है, जो पशुओ के उपयोग की है। वादीगण ने ग्राम डोबडा की ख0नं0 588 की 17.12 बीघा आराजी सेटलमेंट के बाद तत्कालीन खातेदारान कस्तूरी व जगन्नाथ नाई से दिनांक 14.06.88 को क्रय की है तथा नामा0सं0 184 दिनांक 28.03.89 से क्रय की गई पूरी 17.12 बीघा आराजी वादीगण के खाते दर्ज हो चुकी है। चूँकि वादीगण सेटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त आराजी के खातेदार ही नही थे तो इनको इन्द्राज दुरूस्ती का दावा लाने का अधिकार ही नही है। वादीगण का वाद चलने योग्य नही है, मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। तनकीवार निर्णय निम्नप्रकार पारित किया जाता है :–

1. आया ग्राम डोबडा में सं0 2023–26 की जमाबंदी में ख0नं0 1212/635 की 8.10 बीघा, 1213/635 की 8.08 बीघा, 1214/635 की 2.10 बीघा, 1215/635 की 1.13 बीघा कुल 21.01 बीघा आराजी कस्तुरी पुत्री किशना व जगन्नाथ पुत्र उदा के खाते व कब्जे काश्त की थी ?
– वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। सेटलमेंट से पूर्व की ग्राम डोबडा की जमाबंदी सं0 2023–26 खाता सं0 18 एवं खाता सं0 49 में ख0नं0 1212/635, 1213/635, 1214/635, 1215/635 की आराजी कस्तूरी पुत्री किशना सारोला व जगन्नाथ पुत्र उदा कौम नाई बास ग्राम के खाते दर्ज थी। ऐसे में यह तनकी वादीगण के पक्ष में व खिलाफ प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

2. यह है कि गत सेटलमेंट में ख0नं0 1212/635, 1213/635, 1214/635 व 1215/635 का नया खसरा नं0 588 बनाया जिसमें रकबा 21.01 बीघा से घटाकर 17.12 बीघा कर दिया ? इस प्रकार वादीगण के खाते में 3.09 बीघा आराजी सेटलमेंट ने बिना सुनवाई का अवसर दिये कम कर दी ? सेटलमेंट विभाग को खाते का रकबा कम करने का कोई अधिकार नहीं है ?
– वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत मिलान खसरा के अनुसार सेटलमेंट से पूर्व ख0नं0 1212/635, 1213/635, 1214/635, 1215/635 का रकबा 21.01 बीघा था तथा इनके हाल खसरा नं0 588 रकबा 17.12 बीघा है। सेटलमेंट से पूर्व की ग्राम डोबडा की जमाबंदी सं0 2023–26 खाता सं0 18 एवं खाता सं0 49 में ख0नं0 1212/635, 1213/635, 1214/635, 1215/635 की आराजी कस्तूरी पुत्री किशना सारोला व जगन्नाथ पुत्र उदा कौम नाई बास ग्राम के खाते दर्ज थी। सेटलमेंट के बाद इसके नये नम्बर कायम होकर भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी सं0 2028–47 की खाता सं0 93 पर ख0नं0 588 की 17.12 बीघा आराजी कस्तूरी पुत्री किशना हि0 1/4 नाई सा0 सारोलाकलां, जगन्नाथ पुत्र उदा हि0 3/4 कौम नाई सा0दे0 के खाते दर्ज हुई है। अर्थात सेटलमेंट से पूर्व यह आराजी वादीगण के खाते दर्ज नहीं थी।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

ग्राम डोवड़ा के नामा0सं0 184 दिनांक 28.03.89 के अनुसार वादीगण ने ग्राम डोवड़ा की ख0नं0 588 की 17.12 बीघा आराजी सेटलमेंट के बाद तत्कालीन खातेदारान कस्तूरी व जगन्नाथ नाई से दिनांक 14.06.88 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामा से क्रय की है तथा इस नामान्तकरण से क्रय की गई पूरी 17.12 बीघा आराजी वादीगण के खाते दर्ज हो चुकी है तथा Exp1 राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सं0 2068–71 की खाता सं0 250 पर वादीगण के खाते दर्ज है। इस प्रकार वादीगण सेटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं थे। वादीगण ने सेटलमेंट के बाद दिनांक 14.06.88 को ख0नं0 588 की 17.12 बीघा आराजी जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा से क्रय की है, जो नामा0सं0 184 दि0 28.03.89 से खाते दर्ज हो चुकी है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण के खाते की कोई आराजी कम नहीं हुई है। ऐसे में वादीगण को इन्द्राज दुरूस्ती का यह वाद लाने का ही कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह तनकी खिलाफ वादीगण एवं पक्ष में प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

3. आया वादीगण के खेत ख0नं0 588 के उत्तर में सरकारी भूमि साबिक ख0नं0 903/680, 906/611, 794/636 रकबा 49.14 बीघा स्थित थी ? सेटलमेंट ने इसका नया नम्बर 576 किस्म चरागाह बनाया है जिसका रकबा 49.14 बीघा से बढा कर 70.13 बीघा कर दिया तथा वादीगण का 3.09 बीघा रकबा इस आराजी में शामिल कर दिया ? ऐसे में वादीगण ग्राम डोवड़ा की ख0नं0 576 की 70.03 बीघा में से वादीगण के खेत से मिली हुई 3.09 बीघा आराजी का खातेदार टीनेंट घोषित होने एवं ख0नं0 588 रकबा 17.12 बीघा में 3.09 बीघा जोड़कर ख0नं0 588 का रकबा 21.01 बीघा दर्ज कराने के अधिकारी है ? –वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इस तनकी के संबंध में विस्तृत विवेचन होकर तनकी नं0 2 वादीगण के खिलाफ व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। ऐसे में यह तनकी भी वादीगण के खिलाफ व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

4. आया वर्तमान में आराजी चरागाह दर्ज है जो वादी को नहीं दी जा सकती ? –प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी एंव वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड मिलान खसरा के अनुसार हाल ख0नं0 576 रकबा 70.13 बीघा किस्म चरागाह दर्ज रेकार्ड है, जो पशुओं के उपयोग की है। वादीगण ने ऐसा कोई रेकार्ड पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित होता हो कि सेटलमेंट ने उनके खाते की आराजी का कोई भाग कम करके इस आराजी में मिला दिया हो। यहां सेटलमेंट से पूर्व की ग्राम डोवड़ा की जमाबंदी सं0 2023–26 खाता सं0 18 एवं खाता सं0 49 में ख0नं0 1212/635, 1213/635, 1214/635, 1215/635 की आराजी कस्तूरी पुत्री किशना सारोला व जगन्नाथ पुत्र उदा कौम नाई वास ग्राम के खाते दर्ज थी। सेटलमेंट के बाद इसके नये नम्बर कायम होकर भू प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी सं0 2028–47 की खाता सं0 93 पर ख0नं0 588 की 17.12 बीघा आराजी कस्तूरी पुत्री किशना हि0 1/4 नाई सा0 सारोलाकलां, जगन्नाथ पुत्र उदा हि0 3/4 कौम नाई सा0दे0 के खाते दर्ज हुई है। ग्राम डोवड़ा के नामा0सं0 184 दिनांक 28.03.89 के अनुसार वादीगण ने ग्राम डोवड़ा की ख0नं0 588 की 17.12 बीघा आराजी सेटलमेंट के बाद तत्कालीन खातेदारान कस्तूरी व जगन्नाथ नाई से दिनांक 14.06.88 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामा से क्रय की है तथा इस नामान्तकरण से क्रय की गई पूरी 17.12 बीघा आराजी वादीगण के खाते दर्ज हो चुकी है तथा Exp1 राजस्व रेकार्ड जमाबंदी सं0 2068–71 की खाता सं0 250 पर वादीगण के खाते दर्ज है। इस प्रकार वादीगण सेटलमेंट से पूर्व वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं थे। वादीगण ने सेटलमेंट के बाद दिनांक 14.06.88 को ख0नं0 588 की 17.12 बीघा आराजी जर्ये रजिस्टर्ड बैनामा से क्रय की है, जो नामा0सं0 184 दि0 28.03.89 से खाते दर्ज हो चुकी है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण के खाते की कोई आराजी कम नहीं हुई है। ऐसे में वादीगण को ख0नं0 576 रकबा 70.13 बीघा किस्म चरागाह का कोई भाग इन्द्राज दुरूस्ती के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। ऐसे में यह तनकी प्रतिवादी के पक्ष में खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

5. अनुतोष

उपरोक्त विवेचन के अनुसार सेटलमेंट से पूर्व व सेटलमेंट के तत्काल बाद वादीगण ग्राम डोबडा की साबिक ख0न0 1212/635, 1213/635, 1214/635, 1215/635 हाल ख0न0 588 के खातेदार नही रहे है। वादीगण द्वारा बैनामा दिनांक 14.06.88 से ग्राम डोबडा की ख0न0 588 की 17.12 बीघा आराजी तत्कालीन खातेदारान कस्तूरी व जगन्नाथ नाई से क्रय की है, जो पूरी की पूरी 17.12 बीघा ही नामा0स0 184 दिनांक 28.03.89 से वादीगण के खाते दर्ज हो चुकी है तथा वर्तमान मे भी वादीगण के ही खाते दर्ज है। यहां यह स्पष्ट है कि वादीगण के खाते की कोई आराजी कम ही नही हुई है। इस प्रकार वादीगण को दिनांक 20.10.2014 को कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। यहां जब वादीगण को वाद कारण ही उत्पन्न नही हुआ है तो वादीगण को यह इन्द्राज दुरूस्ती का वाद लाने का अधिकार नही होने से जैरकार वाद चलने योग्य नही है।

अतः वाद, वादी चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय मे शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 5/11/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी आनपुर जिला झालावाड़ (राज0)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar Sindhav
Date: 2019.11.21 12:12:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: